दिनांक 20.06.2025

प्रेस विज्ञप्ति 32/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त आरक्षियों के प्रशिक्षण के परिपेक्ष्य में की गयी समीक्षा बैठक

श्री राजीव कृष्ण पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आज दिनॉकः 20.06.2025 को उ0प्र0 पुलिस में नवनियुक्त 60,244 आरक्षी ना0पु0 का एक साथ 09 माह के आधारभूत प्रशिक्षण को 10 पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों तथा 102 स्थायी/अस्थायी जनपदीय/पीएसी आरटीसी (कुल–112 प्रशिक्षण केन्द्रों) में प्रचलित प्रशिक्षण के परिपेक्ष्य में प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी सहित समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक/संस्था प्रमुख/जनपद प्रभारी/सेनानायक के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गयी।

श्री बी0डी0 पाल्सन, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण द्वारा समीक्षा बैठक की शुरूआत करते हुये पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण महोदया से अपने वक्तव्य प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया।

श्रीमती तिलोत्तमा वर्मा, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ ने कहा कि एक साथ 60 हजार से अधिक नवनियुक्त आरक्षियों का प्रशिक्षण भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहली बार हो रहा है, अतः इसे सफलतापूर्वक एवं निर्धारित मानक के अनुसार सम्पन्न कराने हेतु पूर्ण मनोयोग एवं दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कार्य करना होगा। प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा अपने पत्र दिनांकित 13.06.2025 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं, जिसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

प्रशिक्षुओं को शहर एवं गांव की पुलिसिंग के साथ–साथ आधुनिक परिवेश के हिसाब से तकनीकी रूप दक्ष बनाने हेतु उन्हें फॉरेंसिक, साइबर, सर्विलांस आदि के क्षेत्र में भी प्रशिक्षित कराया जायेगा। आरक्षी ना0पु0 सीधी भर्ती/मृतक आश्रित आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम–2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद से प्राप्त किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पाठ्यक्रम की प्रतियाँ

प्रत्येक रिक्रूट को निःशुल्क प्राप्त करा दी जाये। आधारभूत प्रशिक्षण हेतु समस्त पाठ्य–पुस्तकों सहित अन्य पाठ्य सामग्री कम्प्यूटर पर सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करायी जाये तथा प्रशिक्षकों को समस्त पाठ्य–पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी। महिला प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त महिला पुलिस स्टाफ उपलब्ध कराये जा चुके हैं आवश्यकतानुसार अन्य उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

श्री आनन्द स्वरूप, अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू द्वारा अपने सम्बोधन में कहा गया कि प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जा चुका है तथा भविष्य में भी आवश्यकतानुसार बजट उपलब्ध कराया जायेगा।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान अपने संबोधन में कहा गया कि:–

- प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक थाने पर उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त लगभग 25 अतिरिक्त आरक्षी उपलब्ध हो जायेंगे जो प्रदेश के लिए एक 'गेम चेंजर' साबित होगा।
- उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए Once in a lifetime opportunity है जिसे हमे व्यर्थ नहीं करना चाहिये।
- नव नियुक्त आरक्षी अगले 30–40 सालो तक न सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बल्कि समाज के भविष्य में उनकी निर्णायक भूमिका होगी अतः यह आवश्यक है कि समस्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कमांडेंट एवम् प्रशिक्षण से जुड़े सभी अधिकारी पूर्ण मनोयोग से उनके सर्वांगीण प्रशिक्षण में रुचि लें।
- अधिकारियों को संबोधित करते हुए इस बात पर बल दिया कि वरिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षुओं को अपने अनुभव का लाभ दें और Exemplary leadership प्रदान करते हुए स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करें।
- पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देशित किया कि आरक्षियों का उनके पूर्व के स्किल सेट (योग्यता) के आधार पर और कर्मयोगी पोर्टल से प्रशिक्षित होने के उपरांत उनमे विकसित हुए नये स्किल सेट के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करते हुए उनका डेटाबेस विकसित करें जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भविष्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

- अधिकारियों को प्रशिक्षुओं को दिए जा प्रशिक्षण का गहन पर्यवेक्षण करने तथा समस–समय पर स्वयं प्रशिक्षण केन्द्रों का भ्रमण करने हेतु निर्देशित किया गया।
- नवनियुक्त आरक्षियों का प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस में Professionalism का एक नया युग लाने का एक सुनहरा अवसर है जिसका सभी अधिकारियों को एक Generational apportunity मानते हुए सार्थक रूप से भरपूर उपयोग करना चाहिये।
- अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिकारी स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपनी वर्दी, टर्नआउट एवं आचरण को उत्कृष्ट रखें और पुलिस लाइन में आयोजित परेड में स्वयं उपस्थित रहें।
- सोशल मीडिया पॉलिसी के सम्बन्ध में सभी प्रशिक्षुओं को भली–भांति अवगत कराया जाए एवं इसकी सॉफ्ट तथा हार्ड कॉपी भी वितरित कराई जाए। सोशल मीडिया से सम्बंधित वीडियो क्लिप भी आप लोगों को उपलब्ध करायी जायेंगी, जिसे भी सभी प्रशिक्षुओं को अवश्य दिखाया जाये।
- महिला प्रशिक्षण केन्द्रों पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में विशाखा कमेटी का गठन अवश्य करा लिया जाये।
- उन्होंने अपने संबोधन के अंत में यह आशा व्यक्त की कि सभी अधिकारी प्रशिक्षण का एक ऐसा उत्कृष्ट मानक (Bench mark) स्थापित करेंगे जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यह प्रशिक्षण एक परिवर्तनकारी कारक (Transformational Agent) सिद्ध हो।

  वीडियो कांफ्रेंसिंग के अंत में पुलिस महानिदेशक द्वारा ज़ोनवार सभी अधिकारियों से प्रशिक्षण में आने वाली समस्याओं और उनकी जिज्ञासाओं के बारे में पूछा और मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान हेतु निर्देशित किया साथ ही अपेक्षा की गयी कि जेटीसी एवं आरटीसी में विद्यमान किसी भी अन्य विभाग से संबंधित कार्यों को अंतर विभागीय समन्वय से तत्काल पूर्ण करा लिया जाये।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मुख्यालय
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
PREMIER

PREMIER

मुख्यालय
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दिनांक 20.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 33/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

एसटीएफ–पिछले 16 वर्षो से फरार घुमन्तु अपराधी गिरोह का सदस्य एवं जनपद बरेली से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सतीश उर्फ मनीष गिरफ्तार।

दिनांक 20–06–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को थाना भोजीपुरा जनपद बरेली में पंजीकृत मु0अ0सं0 336/2009 धारा 395 भादवि में विगत 16 वर्षो से फरार घुमन्तु अपराधी गिरोह का सदस्य एवं रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सतीष कुमार को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

सतीश उर्फ मनीष पुत्र मनोहर उर्फ अजय निवासी बनपोई थाना मोहम्मदाबाद जनपद फरूखाबाद हाल पता–आनन्द नगर वार्ड नम्बर–25 जाट कालोनी खैरथल, अलवर राजस्थान।

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

हरसौलीफाटक खेरथल, अलवर (राजस्थान) दिनांक– 19–06–2025 समय करीब 18:50 बजे

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाइयों को अभिसूचना संकलन व कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री अब्दुल कादिर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई बरेली के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान उ0नि0 धूम सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 संदीप, मु0आ0 कुलदीप, मु0आ0 अरूण व आरक्षी संजय यादव व मु0आ0 चालक मनोज कुमार अवस्थी की टीम भ्रमणषील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि घुमन्तु अपराधी गिरोह का सक्रिय सदस्य विगत 16 वर्षो से फरार सतीश पुत्र मनोहर अपना नाम–पता छिपाकर खेरथल, अलवर में रह रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त सतीश उपरोक्त को हरसौली फाटक खेरथल, अलवर से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त सतीश उपरोक्त ने बताया कि वह घुमन्तु अपराधी गिरोह का सदस्य है। इस गिरोह द्वारा अलग–अलग राज्यों मे घूमकर लूट, चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए इनके द्वारा नाम व पते का फर्जी दस्तावेज तैयार करा लिया जाता है और स्थान बदल–बदल कर रहते है। वर्ष 2009 में अपने 07 अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना भोजीपुरा जनपद बरेली में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था।

अभियुक्तत सतीश उपरोक्त को मु0अ0सं0 336/2009 धारा 395 भादवि में थाना भोजीपुरा जनपद बरेली में दाखिल किया गया व अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना भोजीपुरा जनपद बरेली द्वारा की जा रही है।

आपराधिक इतिहासः–

1– मु0अ0सं0 336/2009 धारा 395 भादवि थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

2– मु0अ0सं0 425/2009 धारा 395, 397 भादवि थाना देवरनियां जनपद बरेली।

3– मु0अ0सं0 101/2009 धारा 396 भादवि थाना अछनेरा जनपद आगरा।

4– मु0अ0सं0 104/2024 धारा 2(इ)1, 3(1) गिरोहबन्द निवारण अधि0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

5– मु0अ0सं0 335/2022 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

6– मु0अ0सं0 443/2022 धारा 307, 120 बी भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

7– मु0अ0सं0 448/2022 धारा 25/3 आयुध अधि0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

एसटीएफ–लूट, चोरी, छिनैती, टप्पेबाजी करने वाले बरवार गिरोह का सक्रिय सदस्य राजेश खन्ना उर्फ खन्ने गिरफ्तार।

दिनांक 20–06–2025 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को थाना कोतवाली कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 371/2024, धारा 303(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त राजेश खन्ना उर्फ खन्ने को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– राजेश खन्ना उर्फ खन्ने पुत्र राम सागर, निवासी ग्राम छेदक पुरवा, बनगाई बर्वार, थाना धानेपुर, जनपद गोण्डा। उम्र– लगभग 50 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

मवई बाईपास तिराहा, थाना क्षेत्र कुण्डा जनपद प्रतापगढ़। दिनांकः 20–06–2025, समय 02.05 बजे।

विगत कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश से वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री प्रमेष कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, के पर्यवेक्षण में कार्य कर रही एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई अयोध्या द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उक्त के क्रम में उप निरीक्षक श्री शिव कुमार अवस्थी के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी संतोष सिंह, मुख्य आरक्षी रजनीष सिंह एवं मु0आ0 कमाण्डो राजकुमार की टीम सुरागरसी/पतारसी हेतु जनपद प्रतापगढ़ में भ्रमणशील थी। इस दौरान जरिए मुखबिर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त उपरोक्त आज मवई बाईपास तिराहे पर किसी से मिलने आयेगा। प्राप्त सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए एसटीएफ टीम द्वारा अभियुक्त राजेश खन्ना उर्फ खन्ने पुत्र राम सागर उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राजेश खन्ना उर्फ खन्ने पुत्र राम सागर ने पूछताछ में बताया कि वह लूट, चोरी, छिनैती एवं टप्पेबाजी करने वाले बरवार गैंग का सक्रिय सदस्य है। वह पिछले 15 वर्षो से उक्त गैंग के साथ लूट, चोरी, छिनैती एवं टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देता रहा है। उसके गिरोह में 4–5 सदस्य होते है, जो मुख्यतः बैंक से पैसा निकालने वाले व्यक्तियो/सोने–चांदी की खरीदारी करने वाले व्यक्तियों आदि पर नजर रखते है तथा मौका मिलते ही उनसे टप्पेबाजी कर लेते हैं। भीड़–भाड़ अथवा व्यक्ति के अधिक सक्रिय होने की दशा में हम एकान्त स्थान पाते ही उस व्यक्ति पर हमला कर उससे नकदी अथवा सोने–चांदी के जेवरात आदि छीन लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त राजेश खन्ना उर्फ खन्ने पुत्र राम सागर को मु0अ0सं0 371/2024, धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त राजेश खन्ना उर्फ खन्ने पुत्र राम सागर विरूद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत हैः–

क्र० सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	143/2015	379 भा0द0वि0	कोतवाली	देवरिया
2	151/2015	379 भा0द0वि0	कोतवाली	देवरिया
3	225/2015	379 भा0द0वि0	कोतवाली	देवरिया
4	226/2015	3/25/27 आर्म्स एक्ट	कोतवाली	देवरिया
5	491/2016	20, 8 एनडीपीएस एक्ट	गौरीगंज	अमेठी
6	3105/2017	392, 411 भा0द0वि0	सिरसिया	श्रावस्ती
7	2201/2017	392, 411 भा0द0वि0	भिंगा	श्रावस्ती
8	352/2022	379 भा0द0वि0	बांसी	सिद्धार्थनगर
9	83/2023	3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट	बांसी	सिद्धार्थनगर
10	371/2024	303(2) बीएनएस	कुण्डा	प्रतापगढ़

एसटीएफ–अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर सहित 1807 किग्रा डोडा (अन्तराष्ट्रीय बाजार मूल्य 18.70 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 20–06–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को 1807 किग्रा डोडा (अन्तराष्ट्रीय बाजार मूल्य 18.70 लाख रूपये) के साथ राबर्ट्सगंज, सोनभद्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– अकरम खां पुत्र मुल्तान खा नि0 मकरनपुर कुडडा थाना भमौरा, जनपद बरेली।

2– मो0 आरिफ पुत्र हनीफ अंसारी नि0 क्यूना शादीपुर थाना भमौरा जनपद बरेली।

बरामदगीः–

1. 1807 किग्रा डोडा (अन्तराष्ट्रीय बाजार मूल्य 18.70 लाख रूपये)
2. 02 अदद मोबाइल फोन।
3. 02 अदद आधार कार्ड।
4. रू0 2200/– नगद।
5. 01 अदद डीसीएम वाहन नं0 यूपी 25 जीटी 7905

<u>गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः–</u>

विनायक पेट्रोल पम्प के पास मीरजापुर रोड थानाक्षेत्र राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र। दिनांक 20–06–2025 समय 01:25 बजे रात्रि।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थो के तस्कर करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 मुख्यालय लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार द्वारा अपनी टीम के साथ अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 जावेद आलम सिददीकी, उ0नि0 चन्द्रप्रकाश मिश्र, मुख्य आरक्षी मृत्युंजय सिंह, कमाण्डो रामबली गिरि, आरक्षी चालक रईस अहमद की टीम जनपद सोनभद्र में भ्रमणशील थी। इस दौरान विश्वसनीय स्त्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्य झारखण्ड से अवैध मादक पदार्थ (डोडा) लेकर बरेली जाने वाले है, इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर उक्त स्थान पर पहॅुचकर उपरोक्त 02 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से उपरोक्त बारामदगी हुई।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है। इस गिरोह का सरगना जनपद बरेली निवासी अनीश अंसारी है। गिरोह द्वारा पिछले कई वर्षो से मादक पदार्थ की तस्करी का कार्य किया जा रहा है। झारखण्ड से कम दामों में अवैध मादक पदार्थ (डोडा) मंगाकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब आदि राज्यों में सप्लाई किया जाता है। अनीश अंसारी ने अकरम खान को रॉची के खुटी स्थान पर भेजकर कहा था कि वहॉ पर चालक मो0 आरिफ मिलेगा, जिसका डोडा की खेप प्राप्त करने में सहयोग करना है, जिसके एवज में रू0 5,000/– नगद दिया था तथा 30,000/– रूपये वापस आने पर मिलने का वादा किया था एवं चालक आरिफ को रू0 6,000/– नगद दिया था तथा वापस आने पर रूपये 40,000/– देने का वादा किया था। पूछताछ में अभियुक्तों ने यह भी बताया कि अनीश अंसारी मादक पदार्थो की तस्करी में कई बार जेल जा चुका है एवं कुछ दिन पूर्व ही जेल से छूटकर बाहर आया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना राबर्ट्सगंज, सोनभद्र में मु0अ0सं0 649/2025 धारा 8/18/25/29/60 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त घायल उपचार के दौरान मृत घोषित**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 20.06.2025 को थाना शिकोहाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नोवा फैक्ट्री के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त राजू घायल हो गया, अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। जहाँ चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी था, जिसके विरूद्ध हत्या सहित डकैती, हत्या का प्रयास, चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 136/25 धारा 103(1)/309(6) बीएनएस व मु0अ0सं0 391/25 धारा 309(6)/109(1) बीएनएस में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृत अभियुक्त

1—राजू पुत्र कल्लू खान उर्फ धर्मेन्द्र निवासी रैपुरा थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना नॉलेज पार्क

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 आर्टिगा कार आदि बरामद**

दिनांक 20.06.2025 को थाना नॉलेज पार्क पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर—148 से पुश्ता के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाश को रोकने का प्रयास

किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शाहिद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 आर्टिगा कार आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना नॉलेज पार्क पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नॉलेज पार्क पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शाहिद निवासी न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी जाकिरनगर थाना जामियानगर जनपद औखला नई दिल्ली।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–घटना में प्रयुक्त 01 आर्टिगा कार आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना कविनगर/थाना मधुबन बापूधाम

- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 06 लाख 45 हजार रूपये नगद**
- **लूट के रूपये से खरीदा गया 01 मोबाइल फोन**
- **05 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 19.06.2025 को थाना कविनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिकरोड़ रोड़ पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार

बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सूरज 2–नितिन कुमार घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–मनीष सहित गिरफ्तार किया गया एवं थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा बुनकर मार्ट के पास से पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 4–बृजेश 5–अंकुश उर्फ काले को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 6–अमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 06 लाख 45 हजार रूपये नगद, लूट के रूपये से खरीदा गया 01 मोबाइल फोन, 05 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.06.2025 को थाना कविनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कविनगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कविनगर एवं थाना मधुबन बापूधाम पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सूरज निवासी शंकर विहार कॉलोनी, मानसरोवर लाल कुआं थाना वेब सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, स्थाईपता ग्राम बलवाड़ा थाना बलवाड़ा जनपद फर्रूखाबाद।

2–नितिन कुमार निवासी ग्राम खेड़ा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

3–मनीष निवासी कृष्ण विहार कॉलोनी लाल कुआं थाना वेब सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, स्थाई पता ग्राम रसीदाबाद थाना कम्पिल जनपद फर्रूखाबाद।

4–बृजेश निवासी ग्राम खेडा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़।

5–अंकुश उर्फ काले निवासी कुसलिया थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

6–अमित निवासी कृष्णा विहार लाल कुआ कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1—लूट के 06 लाख 45 हजार रूपये नगद।

2—लूट के रूपये से खरीदा गया 01 मोबाइल फोन।

3—05 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गाजीपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख 60 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के (पीली—सफेद) धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 20.06.2025 को थाना गाजीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कुकरैल बंधा के पास से अभियुक्त 1—आकाश 2—रिंकू 3—रोहन उर्फ शंकर 4—विकास 5—रोहित उर्फ छंगा 6—विकास 7—अभियुक्ता को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। अभियुक्त हिमांशु उर्फ संजू मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस कार्यवाही में घायल/गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 60 हजार रूपये नगद, चोरी के (पीली—सफेद) धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.06.2025 को थाना गाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गाजीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त

शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त हिमांशु उर्फ संजू के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 11 अभियोग, अभियुक्त आकाश के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गाजीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश निवासी ग्राम सुकुलपुरा थाना कलवारी जनपद बस्ती, हालपता तकरोही थाना इन्दिरानगर कमिश्नरेट लखनऊ।

2–रिंकू निवासी संतपुरम मुरदहिया चौराहा थाना इन्दिरानगर लखनऊ, स्थाईपता ग्राम लोहार खेड़ी जुमनिया थाना संदना जनपद सीतापुर।

3–रोहन उर्फ शंकर निवासी रामपुर कटरा थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी, हालपता पटेलनगर सेक्टर–8 थाना गाजीपुर लखनऊ।

4–विकास निवासी पुराना किला बड़ी पार्क थाना हुसैनगंज लखनऊ।

5–रोहित उर्फ छंगा निवासी आजादनगर थाना आलमबाग लखनऊ।

6–विकास निवासी ग्राम सुकुलपुरा थाना कलवारी जनपद बस्ती, हालपता तकरोही थाना इन्दिरानगर कमिश्नरेट लखनऊ।

7– हिमांशु उर्फ संजू निवासी तेलीबाग थाना पीजीआई कमिश्नरेट लखनऊ।

8–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी के 02 लाख 60 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना कसया

• चोरी की घटना का अनावरण

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की 06 ई–रिक्शा

• चोरी की 08 ई–रिक्शा बैट्री

• 22 हजार रूपये नगद बरामद

दिनांक 20.06.2025 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–रोहित 2–रवीन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 ई–रिक्शा, चोरी की 08 ई–रिक्शा बैट्री, 22 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कसया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित निवासी मटोली मर्करी गेट थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया।

2–रवीन्द्र निवासी रामपुर बुजुर्ग थाना एम्स जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 06 ई–रिक्शा।

2–चोरी की 08 ई–रिक्शा बैट्री।

3–22 हजार रूपये नगद।

जनपद अलीगढ़/थाना सिविल लाइन

• चोरी की घटना का अनावरण

• 03 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 20.06.2025 को थाना सिविल लाइन व एण्टी व्हीकल थैफ्ट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1–नन्द किशोर उर्फ नन्दू 2–शाजेब

उर्फ राहुल 3–दिलदार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नन्द किशोर उर्फ नन्दू निवासी हमदर्दनगर थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ़।

2–शाजेब उर्फ राहुल निवासी हमदर्दनगर थाना सिविल लाइन जनपद अलीगढ़।

3–दिलदार निवासी रठगांव थाना जवां जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–चोरी की 09 मोटर साइकिल।

- **जनपद सहारनपुर/थाना रामपुर मनिहारान (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 27–27 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सहारनपुर द्वारा थाना रामपुर मनिहारान पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/302/149 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–मांगा उर्फ मांगेराम 2–राजेश 3–राजेन्द्र 4–प्रदीप 5–प्रवीण 6–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 27–27 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————